न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
862/2024	05.09.2024	27.10.2025

उनवान

1. चन्द्र सिंह पिता स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. गिरधर सिंह पिता स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तह0 व जिला भीलवाड़ा।
3. गोविन्द सिंह पिता स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
4. सागर कवंर पुत्री स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
5. गणेश कवंर पुत्री स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. कैलाशकवंर पुत्री स्व0 भगवत सिंह राजपूत, निवारी मालोला, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र नाथु सिंह शक्तावत, निवासी फूलजी की खेडी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षीगण

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री श्रवण कुमार सेन।
2. विपक्षी संख्या 01 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैरोकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 की शामलाती खातेदारी अधिकार, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके ग्राम मालोला प0ह0 मालोला तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 1768/1020 रकबा 0.1517 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1769/1021 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1770/1021 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी नम्बर 1768/1020, 1769/1021, 1770/1021 कुल किता 03 कुल रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार कालु पुत्र मांगीलाल गाडरी, देऊ पुत्री मांगीलाल गाडरी, रूपी बेवा मांगीलाल गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भुसिंह राजपुत ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2011 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार लाली बेवा गणेश गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे भी प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भुसिंह राजपुत ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2012 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, इस प्रकार वादीगण के पिता ने उक्त वर्णित भूमि का कुल 2/3 हिस्सा क्रय किया, इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार जमनालाल पिता उदा गाडरी, चतरी पत्नि उदा गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे विपक्षी संख्या 01 रणजीतसिंह पिता नाथुसिंह शक्तावत ने जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 11.06.2010 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, उसी अनुसार प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह एवं विपक्षी संख्या 01 मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करते आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह की मृत्यु के बाद विरासतीय अधिकार से मृतक खातेदार भगवतसिंह के हिस्से पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है। किन्तु जमाबन्दी ऑन लाईन (सेक्रिकेशन के समय) खातेदारो का हिस्सा दर्ज. किया. उसमें प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह का 2/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं विपक्षी संख्या 01का 1/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया है जो कि लिपिकीय त्रुटि, भूल वश एवं पूर्व की जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना ही बिना किसी आधार के प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह का 2/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया है, जिसे दुरस्थ कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह ने अलग–अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 2/3 क्रय किया है एवं विपक्षी संख्या 01 ने 1/3 हिस्सा जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हुआ है, उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था किन्तु लिपिकीय त्रुटि, भूल वश एवं पूर्व की जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना ही जमाबन्दी ऑन लाईन (सेक्रिकेशन के समय) अपने मनमक़सूद तरीके से गलत हिस्सा अंकित किया है, जिसे दुरूस्थ कराये जाने हेतु पटवार हल्का को निवेदन किया किन्तु पटवार हल्का ने संशोधित हिस्सा दुरूस्थ करने से मन कर दिया एवं न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दिनांक 12.07.2024 को दी गई, जिससे प्रार्थीगण की और से राजस्व रेकार्ड में हिस्सा संशोधित किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालोला प0ह0 मालोला तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 1768/1020, 1769/1021, 1770/1021 कुल किता 03 कुलरकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि में मृतक खातेदार संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु संशोधित आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.09.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 3004 दिनांक 29.08.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम मालोला, पटवार हल्का मालोला की आराजी नम्बर 1768/ 1020, 1769/1021, 1770/1921 कुल किता 3 कुल रकया 0.4047 हैक्टेयर भूमि के खातेदार कालु पुत्र मांगीलाल गाडरी देऊ पुत्री मांगीलाल गाउरी रूपी बेवा मांगीलालगाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे प्रार्थिगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भू सिंह राजपुत ने जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2011 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार लाली वेवा गणेश गाडरी का 1/3 हिरसा निहित था, जिसे भी प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भूसिंह राजपुत ने जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2012 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, इस प्रकार वादीगण के पिता ने उक्त वर्णित भूमि का कुल 2/3 हिस्सा क्रय किया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार जमनालाल पिता उदा गाडरी, चतरी पत्नी उदा गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे विपक्षी संख्या 01 रणजीतसिंह पिता नाथुसिंह शक्तावत ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2010 को क्रय कर आधिपत्य प्रात किया। किन्तु ऑनलाईन जमाबन्दी में (सेग्रीगेशन के समय) खातेदारो जो का हिस्सा दर्ज किया, उसमें प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह का 2/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 1/2 आधा हिस्सा दर्ज कर दिया जो कि लिपिकीय त्रुटी, भूलवश हुई। प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह ने अलग-अलग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 2/3 हिस्सा क्रय किया है एवं विपक्षी संख्या 1 ने 1/3 हिस्सा जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हुआ है, उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था किन्तु लिपिकीय त्रुटी से जमाबन्दी ऑनलाईन जमाबन्दी में गलत हिस्सा अंकित हो गया जिसे सही किया जाना उचित है अतः तदअनुसार हिस्सा संशोधित करने की अनुशंषा की जाती है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.09.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा भूमि के बाबत् प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रार्थीगण की माता सीता कवंर पत्नी भगवत सिंह की मृत्यु होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं सीता कवंर के प्रार्थीगण ही वारिस है। इसलिये प्रकरण में प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है जिसे स्वींकार कराये जाने हेतु यह आवेदन पेश है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती का अध्यंयन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। प्रार्थीगण की मांता सीता कवंर पत्नी भगवत सिंह की मृत्यु होने से एवं सीता कवंर के प्रार्थीगण ही वारिस होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 का स्वीकार किया जाता है। ग्राम मालोला, पटवार हल्का मालोला की आराजी नम्बर 1768/ 1020, 1769/1021, 1770/1921 कुल किता 3 कुल रकया 0.4047 हैक्टेयर भूमि के खातेदार कालु पुत्र मांगीलाल गाडरी देऊ पुत्री मांगीलाल गाउरी रूपी बेवा मांगीलालगाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे प्रार्थिगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भू सिंह राजपुत ने जरिऐरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2011 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया, इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार लाली वेवा गणेश गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे भी प्रार्थीगण के पिता भगवतसिंह आत्मज शम्भूसिंह राजपुत ने जरिऐ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2012 को क्रय कर आधिपत्य प्रात किया, इस प्रकार वादीगण के पिता ने उक्त वर्णित भूमि का कुल 2/3 हिस्सा क्रय किया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात के खातेदार जमनालाल पिता उदा गाडरी, चतरी पत्नी उदा गाडरी का 1/3 हिस्सा निहित था, जिसे विपक्षी संख्या 01 रणजीतसिंह पिता नाथुसिंह शक्तावत ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.06.2010 को क्रय कर आधिपत्य प्रात किया। उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में हिस्सा दर्ज होना चाहिऐ था किन्तु लिपिकीय त्रुटी से जमाबन्दी ऑनलाईन जमाबन्दी में गलत हिस्सा अंकित हो गया जिसे सही किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण का हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2011 व दिनांक 30.04.2012 अनुसार संयुक्त रूप से 2/3 दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालोला, पटवार हल्का मालोला की आराजी नम्वर 1768/ 1020, 1769/1021, 1770/1921 कुल किता 3 कुल रकया 0.4047 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

([illegible] कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा